कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 306/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 06.08.2026**

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡ चोरी की योजना बना रहे 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी में प्रयुक्त औजार व 02 बैटरियां बरामद ।

➡ मुखबिर की सूचना पर समकेरगंज पुलिया से गिरफ्तारी, अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर भेजा गया न्यायालय ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.08.2026 को थाना जहानागंज पुलिस ने चेकिंग/गश्त के दौरान समकेरगंज पुलिया के पास से 02 संदिग्ध व्यक्तियों 1- अमित विश्वकर्मा व 2- विशाल विश्वकर्मा को समय करीब 20:41 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी की 02 अदद बैटरियां तथा चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त 02 अदद रिंच, 02 अदद पेचकस, 01 अदद छोटी टेढ़ी सरिया एवं 01 अदद प्लास बरामद हुए। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 168/2026, धारा 313, 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 168/26 धारा 313, 317(2) बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमित विश्वकर्मा पुत्र पप्पू उर्फ रामबाबू विश्वकर्मा, निवासी फैजपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष।
2. विशाल विश्वकर्मा पुत्र दुर्गेश विश्वकर्मा, निवासी फैजपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी- 02 बैटरी, 02 रिंच, 02 पेचकस, 01 छोटी टेढ़ी सरिया, 01 प्लास

आपराधिक इतिहास

1. अमित विश्वकर्मा

1. मु0अ0सं0- 248/19 धारा 380, 504, 506, 427 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 103/21 धारा 323, 325, 504, 506, 336, 354, 427, 341 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 125/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

2. विशाल विश्वकर्मा

1. मु0अ0सं0- 125/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 दिनेश कुमार पाल, कांस्टेबल अजय गौड़, कांस्टेबल रितेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल हरिगोविन्द मौर्य, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡️ बरूआ बाबा मंदिर चोरी का सफल खुलासा, चोरी के माल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ मंदिर से चोरी किए गए घंटा व अन्य सामान बरामद, चोरी का माल खरीदने वाला दुकानदार भी गिरफ्तार

दिनांक 20.07.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित बरूआ बाबा मंदिर, आगापुर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा मंदिर से पीतल के घड़े, घंटे, साउंड सिस्टम, दानपेटी में रखी नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 407/2026, धारा 305, 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 05.08.2026 को समय करीब 22:40 बजे हाफिजपुर से चोरी के सामान के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त विजय चौहान ने मंदिर में चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी किया गया सामान उसने बिलरियागंज निवासी अशोक कुमार पटेल को मात्र ₹1,500 में बेच दिया था। अशोक कुमार पटेल ने भी चोरी का सामान कम कीमत पर खरीदने तथा पूर्व में भी चोरी का सामान खरीदने की बात स्वीकार की। अभियुक्तों के कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया घंटा एवं अन्य सामान बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 407/26 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विजय चौहान पुत्र वासुदेव चौहान, निवासी बलरामपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. अशोक कुमार पटेल पुत्र रामवृक्ष सिंह, निवासी बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी-

- मंदिर से चोरी किया गया घंटा।
- चोरी का अन्य सामान।

आपराधिक इतिहास- निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति (चौकी प्रभारी बलरामपुर), कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल नीरज कुमार,आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी राहुल पाण्डेय, आरक्षी पंकज शर्मा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡️ इण्डस टावर से केबिल तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का केबिल व उपकरण बरामद

➡️ सिधारी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चोरी में प्रयुक्त पिलास, कटर, आरी व अन्य औजार भी हुए बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार, द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी के निर्देशन में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 05.08.2026 को वादी मुकदमा राकेश पुत्र रामा सा0 अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ निसा टीम आजमगढ़ द्वारा इण्डस टावर छतवारा से अर्थिंग केवल 25 मीटर 25 mm व पावर केबल DCDB बाक्स से 5 MPS तक 10 मीटर 35 mm व SPS से SMPS की 06 मीटर 35 mm की चार केवल काट कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लेनें के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 327/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 05.08.2026 को उ0नि0 राजबिहारी सिंह मय हमराह ने इण्डस टावर, छतवारा से चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को समय करीब 19:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से इण्डस टावर से चोरी किया गया केबिल तार तथा चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 327/2026 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आरिफ पुत्र मुन्नू, निवासी निसवा स्कूल, पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।
2. राकेश सोनकर पुत्र गनेशी सोनकर, निवासी कुंडीगढ़ बदरका, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी-

- काले रंग का केबिल (लगभग 10 मीटर)
- गहरे हरे रंग का केबिल (02 टुकड़े, लगभग 03 मीटर)
- हल्के हरे रंग का केबिल (05 टुकड़े, लगभग 11 मीटर)
- लाल रंग का केबिल (लगभग 1.5 फीट)
- ग्रे रंग का केबिल (लगभग 06 मीटर)
- 01 अदद पिलास
- 01 अदद कटर
- 01 अदद आरी पत्ती
- 01 अदद पेचकस
- 01 अदद फ्यूज

आपराधिक इतिहास- निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राजबिहारी सिंह, हे0का0 सुशील यादव, का0 राजकुमार, का0 शिवम शुक्ला थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

➡️ ₹43 लाख की धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ प्रकाश में आये आरोपी को कन्धरापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कन्धरापुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया गया था कि भूमि का बैनामा कराने के नाम पर ₹43 लाख प्राप्त करने के बावजूद बैनामा नहीं किया गया तथा रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 84/2026 धारा 316(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान बैंक खातों एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण से अभियुक्त दिवाकर पुत्र परसन का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.08.2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दिवाकर पुत्र परसन निवासी ग्राम कम्हेनपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10:30 बजे ग्राम कम्हेनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 84/2026 धारा 316(2), 352, 351(3), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- दिवाकर पुत्र परसन, निवासी ग्राम कम्हेनपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 59 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 अजय कुमार त्रिपाठी, का0 नितिन कुमार मिश्रा थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।